प्रेस नोट **दिनांक 27.08.2026**

रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर महिलाओं व छात्राओं द्वारा जनपद मऊ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बांधी गई रक्षा-सूत्र, पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिया गया सुरक्षा, उनके अधिकार एवं सम्मान का भरोसा-

आज दिनांक 27.08.2026 को आगामी रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में जनपद मऊ के संस्थानों से आई महिलाओं व स्कूल से आई छात्राओं द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मऊ में पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश बहादुर एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार की कलाई पर रक्षा- सूत्र बांधकर भाई- बहन के पवित्र स्नेह, अटूट विश्वास और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के प्रेम, विश्वास एवं सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक है।

इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं/ छात्राओं के व्यक्त किए गए इस स्नेह एवं सम्मान हेतु उनका आभार व्यक्त किया तथा सभी को उपहार, मिष्ठान वितरण कर, आशीर्वाद एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा महिलाओं/ छात्राओं को महिला सुरक्षा, उनके अधिकार एवं सर्वोपरि सम्मान का पूर्ण आश्वासन दिया गया।

इस दौरान पुलिस कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारीगण एवं विद्यालय के शिक्षकगण उपस्थित रहे।

अवैध देशी शराब बेचने वाले एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में थाना सरायलखंसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 27.08.2026 को ग्राम अलीनगर से अवैध देशी शराब बेचने वाले एक व्यक्ति को 56 पौवा 200 ML अवैध शराब कुल मात्रा 11.2 लीटर के साथ गिरफ्तार कर बरामद किया गया तथा बरामद अवैध देशी शराब के आधार पर मु0अ0सं0- 292/2026 धारा- 60 आबकारी अधिनियम थाना सरायलखंसी जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त बेचूलाल राजभर पुत्र स्व0 हरदेव राजभर निवासी ग्राम अलीनगर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

अभियुक्त का विवरण

1. बेचूलाल राजभर पुत्र स्व0 हरदेव राजभर निवासी ग्राम अलीनगर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 292/26 धारा- 60 आबकारी अधिनियम थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 27.08.2026

2.स्थान – ग्राम अलीनगर

बरामदगी का विवरण

1.अवैध देशी शराब 56 पौवा 200 ML कुल मात्रा- 11.2 लीटर ।

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत शातिर अपराधी को किया गया जिलाबदर-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 27.08.2026 को जिला मजिस्ट्रेट मऊ महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2025, वाद सं0- 1088/2026 सरकार बनाम हरेन्द्र राय, अंतर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियुक्त हरेन्द्र राय पुत्र स्व0 शारदा राय निवासी ग्राम फरसरा खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को 04 माह की अवधि के लिए जनपद मऊ की सीमा से निष्कासित/ जिलाबदर की कार्यवाही किया गया।

जिला बदर अभियुक्त का विवरण

1. हरेन्द्र राय पुत्र स्व0 शारदा राय निवासी ग्राम फरसरा खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 151/2023 धारा- 323, 253, 504, 506, 427, 325 भादवि0 व 3(1)द एससी/एसटी एक्ट थाना दोहरीघाट, मऊ।
2. मु0अ0सं0 207/2024 धारा- 115(2), 351(2), 352, 324(4) बीएनएस, थाना दोहरीघाट, मऊ।
3. मु0अ0सं0 25/2025 धारा- 3(5),115(2), 351(2), 352, 324(4) बीएनएस, थाना दोहरीघाट, मऊ।
4. मु0अ0सं0 55/2026 धारा- 115(2), 352 बीएनएस व 3(1)द एससी/एसटी एक्ट, थाना दोहरीघाट, मऊ।

जिलाबदर करने का दिनांक

1.दिनांक – 27.08.2026

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 27.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 36 टीम गठित कर जनपद के 36 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1350 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 300 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।